

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>27/2/2018</p>	<p>वकील प्रार्थी अगुल अप्रार्थी अगुल उभय पक्ष को प्रकरणा में पेशी हेतु बार-बार आवाजे लगावाई गई, किन्तु वे असात्मन अथवा वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः तदर्थ हेतु धारा 10 की दिनांक 20/3/2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>20/3/18</p>	<p>पी.ओ. साहब अगुल में वास्त है पेशी इलतवा द्वारा पत्रावली दिनांक 20/4/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>30/5/18</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिख. है। पेशी इलतवा द्वारा पत्रावली दिनांक 23/5/18 को पेश हो।</p>	
<p>23/5/18</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिख. है। पेशी इलतवा द्वारा पत्रावली दिनांक 11/6/18 को पेश हो।</p>	
<p>11/6/18</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिख. है। पेशी इलतवा द्वारा पत्रावली दिनांक 23/7/18 को पेश हो।</p>	
<p>23/7/18</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिख. है। पेशी इलतवा द्वारा पत्रावली दिनांक 12/9/18 को पेश हो।</p>	
<p>12/9/18</p>	<p>वकील प्रार्थी अगुल अप्रार्थी अगुल प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को प्रकरणा में पेशी हेतु बार-बार आवाजे लगावाई गई, किन्तु वे असात्मन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अधिनियम अधिनियम पेशी में स्वीकार की जाती है। निर्यात की प्रतिके साथ अधीन न्यायालय का रिकॉर्ड तैयार आवे/बाद पालना धारा 10 के अंतर्गत में सुमार उभय पक्ष से लम हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	